2004

श्री मृगेन्द्र प्रताप सिंह, वित्त मंत्री, झारखण्ड का बजट भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैं वित्तीय वर्ष 2004-05 का आय-व्ययक सदन में उपस्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि आपने मुझे यह चौथा सुअवसर प्रदान किया है जब मैं राज्य का आय-व्ययक सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

हमारे युवा मुख्य मंत्री, माननीय श्री अर्जुन मुण्डा जी के प्रगतिशील नेतृत्व, कुशल प्रशासन एवं दृढ़-संकल्प से राज्य सरकार ने सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में निरन्तर प्रगति की हैं।

झारखण्ड राज्य का विकास आम आदमी के विकास से जुड़ा हुआ है। विकास को अब महज वस्तुओं के उत्पादन तथा सेवाओं के विस्तार तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ-साथ मानव हितों पर भी जोर दिया जाना अत्यावश्यक है। इस प्रकार मानव विकास केवल राज्य के सकल घरेलू उत्पादन पर आधारित नहीं है, बल्कि आम आदमी के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार, मानव हितों और बुनियादी सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता पर निर्भर है। इसी क्रम में अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आय में वृद्धि करने के अवसर प्रदान करने एवं गरीबी को कम करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता सरकार द्वारा दी जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक का मूल उद्देश्य आम आदमी के विकास को परिलक्षित करना है। इसके लिए राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए नीतिमूलक परिवर्तन एवं कार्यक्रम संबंधी सुधार किए गए हैं और विभिन्न नये प्रयास तथा योजनाओं का सूत्रण किया गया है।

राज्य गठन के समय राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) 28910 करोड़ था जो वर्ष 2002-2003 में बढ़कर 33027 करोड़ रुपये हो गया है। राज्य में विकास का दर भी बढ़ा है और अब इसका स्तर 5.61 प्रतिशत पहुँच गया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर का लक्ष्य 6.9 प्रतिशत रखा गया है। इस स्तर पर पहुँचने के लिए राज्य को अभी अथक प्रयास करने होंगे और विकास दर में तीव्रता लानी होगी। राज्य गठन के प्रथम तीन वर्षों में सरकार की प्राथमिकता थी कि विकास की गति तीव्र करने हेतु आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाय और प्रशासनिक एवं आर्थिक ढाँचों को सुदृढ़ किया जाय। अब हम इस स्थिति में आ गये हैं कि तीव्र गति से विकास करने में हम सक्षम और कामयाब हो सकें। इसी परिप्रेक्ष्य में, राज्य सरकार द्वारा आत्मविश्वास एवं दृढ़ संकल्प के साथ आय-व्ययक के आकार में अत्यधिक वृद्धि की गई है।

वर्ष 2004-05 का आय-व्ययक का अनुमान कुल 10976 करोड़ रू० है जो पिछले वर्ष की तुलना से लगभग 16 प्रतिशत अधिक है जिसमें गैर योजना मद में मामूली 3.39 प्रतिशत की वृद्धि ही है जो कि वर्त्तमान मुद्रा स्फीति के दर से भी कम है। दूसरी ओर राज्य योजना में तीव्र गति लाने हेतु पिछले वर्ष के योजना उद्व्यय, यथा 2935.00 करोड़ की तुलना में 40 प्रतिशत वृद्धि के साथ कुल 4110.00 करोड़ रू० का प्रस्ताव है, जिसमें मुख्यतः शिक्षा क्षेत्र में 93 प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्र में 62 प्रतिशत एवं समाज कल्याण पोषाहार क्षेत्र में 54 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2004-05 में कुल प्राप्ति 10566.92 करोड़ रू० तथा कुल व्यय 10976.01करोड़

रू० सम्भावित है। इसमें अवशेष, जो 288 करोड़ रू० अनुमानित है, की राशि के समायोजन के पश्चात् राज्य का इति शेष (–) 121.09 करोड़ रू० होगा, जो कुल प्रस्तावित व्यय का केवल 1.1 प्रतिशत का Deficit होगा।

राज्य के कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति और विश्वसनीयता काफी बढ़ी है जिसके फलस्वरूप प्रमुख आर्थिक संस्थाएँ, जैसे–नाबार्ड, हुडको, इत्यादि हमें ऋण देने पर सहमत है। इन दोनों संस्थाओं से 750 करोड़ रू० ऋण लेने की योजना है। साथ ही बाजार ऋण से भी हम 450 करोड़ रू० जुटायेंगे।

तीन वर्षों में राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय प्रगति प्राप्त की है। राज्य सरकार में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले तथा पिछड़े वर्ग के समुदाय में शिक्षा की ओर रूचि पैदा करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान, सरस्वती वाहिनी मध्याह्न भोजन आदि कार्यक्रम की शुरूआत की है। पिछले दो वर्षों में विद्यालय सुविधा से विहीन बस्तियों की संख्या 13,217 से घटाकर 698 कर दी गई है। राज्य के 6–11 आयु वर्ग के बच्चों के सकल नामांकन अनुपात 94 प्रतिशत है एवं इसे और बढ़ाने हेतु सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है जिसके लिए आगामी वित्तीय वर्ष में कुल 132.00 का प्रावधान किया गया है। सरकार के अथक प्रयास से पिछले दो वर्षों में स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या 8.60 लाख से घटकर 2.46 लाख हो गई है। बालिका शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है जिसके तहद राष्ट्रीय बालिका प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रम, अनामांकित या विद्यालय छोड़ चुकी किशोरियों की शिक्षा हेतु विशेष व्यवस्था के रूप में कैंप विद्यालय, जगजगी केन्द्र, बाल जगजगी केंन्द्र, पूर्व बालपन शिक्षा केंद्र एवं महिला शिक्षण केंद्र खोले गए है।

झारखण्ड राज्य बनने के बाद से शिक्षकों एवं आरक्षियों की बड़े पैमाने पर नियुक्ति की गई है। प्राथमिक शिक्षकों के 10787 रिक्त पदों के विरुद्ध 5356 नियुक्ति पत्र दिए जा चुके है। इसके साथ ही 9811 आरक्षियों की भी नियुक्ति की जा चुकी है।

अध्यक्ष महोदय, झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग के द्वारा विद्युत टैरिफ पहली बार अधिसूचित किया गया है एवं नयी विद्युत टैरिफ में औद्योगिक क्षेत्र के लिए विशेष रियायतें दी गई है जिससे झारखण्ड राज्य में उद्योग स्थापित करने में बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन के लिए विशेषज्ञ के रूप में एस० बी० आई० कैपिटल को परामर्शी नियुक्त किया गया है और सरकार की मंशा है कि यह कार्य एक वर्ष के अन्दर पूर्ण कर लिया जाए ताकि ऊर्जा के क्षेत्र में अपेक्षित सुधार आ सके।

ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए भारत सरकार की सलाह के अनुसार झारखण्ड राज्य द्वारा त्रिपक्षीय समझौता किया गया है जिसमें केन्द्र सरकार, रिजर्व बैंक एवं राज्य सरकार के सहमति से पुराने बकाये को Long Term Bond के रूप में परिणत करते हुए भविष्य में सुधार कार्यक्रम में तीव्रता लाने की रूप–रेखा तैयार की गयी है। इसी क्रम में त्वरित ऊर्जा विकास कार्यक्रम, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि योजनाएँ कार्यान्वित करने हेतु बजट प्रावधान को पिछले वर्ष की तुलना में 62 प्रतिशत वृद्धि करते हुए लगभग 126.00 करोड़ रू० का अधिक प्रावधान किया है। आप सहमत होंगे कि इस क्षेत्र में राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के 32,000 गाँवों में से केवल 15 प्रतिशत का ही विद्युतीकरण हो पाया है। आगामी वित्तीय वर्ष में 5,000 अतिरिक्त गाँवों को बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य की आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापक सुधार लाने के लिए आवश्यक है कि राज्य की विधि–व्यवस्था भी उतनी ही अनुकूल हो ताकि राज्य में अधिकाधिक पूँजी निवेश हो सके। इसके लिए

पुलिस आधुनिकीकरण की महत्वाकांक्षी योजना लागू की जा रही है, जिसपर 124.00 करोड़ रू० का व्यय प्रस्तावित है।

अध्यक्ष महोदय, आर्थिक सुधारों को मूर्त रूप देने के लिए, वित्त विभाग ने राज्य गठन के पश्चात् विकास कार्य हेतु निविदा की जटिल प्रक्रियाओं को सरल बनाया है। इसके अतिरिक्त योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन तथा विभिन्न कठिनाईयों के समाधान हेतु सामग्रियों के क्रय करने में डी०जी०एस०एण्ड० डी० दर पर क्रय करने की व्यवस्था कायम की है।

वित्त विभाग द्वारा प्रक्रियाओं को सरलीकृत करते हुए आन्तरिक वित्तीय सलाहकार प्रणाली की एक नई व्यवस्था लागू की गई है। ताकि वित्तीय मामलों में प्रशासी विभाग प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने स्तर से शीघ्रताशीघ्र निष्पादन सुनिश्चित कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, राज्य के बढ़ते हुए संसाधन एवं योजना आकार को मूर्त रूप देने के लिए आर्थिक संसाधनों में वृद्धि लाने, ऋण व्यवस्था को सरलीकृत तरीके से लागू करने के लिए आर्थिक एवं वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यक्रम के तहत् USAID की सहायता से एक त्रिवर्षीय कार्य योजना तैयार किया गया है जिसका कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2004-05 से प्रारम्भ किया जायगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्यतः कोषागार, ऋण प्रबंधन, आर्थिक विश्लेषण, व्यय प्रबंधन, योजना मूल्यांकन, कार्य प्रणाली में दूरगामी सुधार लाने की योजना तैयार की गई है।

उपरोक्त प्रणाली को लागू करने के क्रम में सर्वप्रथम कोषागार के कार्य पद्धति में सुधार करते हुए कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है। सभी कोषागारों को वित्त विभाग से भी जोड़ने की योजना है जिससे कि कोषागोरों से On-Line सूचना प्राप्त होती रहेगी। इसी क्रम में, भविष्य निधि निदेशालय एवं सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को भी इस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा जिससे कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखा का अद्यतन भी On-Line होगा।

राज्य के आन्तरिक संसाधनों में वृद्धि के साथ-साथ कर-प्रणाली में व्यापक सुधार करते हुए आम जनता को राहत देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में करों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव है। इनमें निबंधन शुल्क में कमी लाया जाना, वाणिज्य-कर ढाँचे में परिवर्तन लाया जाना तथा परिवहन करों के संग्रहण प्रणाली को आधुनिक करना शामिल है। वाणिज्य-कर, परिवहन एवं खनन क्षेत्र से अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु हम प्रयासरत् है।

वाणिज्य-कर की अदायगी की प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए कर संग्रहण की मात्रा में 16 प्रतिशत की वृद्धि लाने का लक्ष्य है जो पड़ोसी राज्यों से तुलनात्मक अधिक है। ईठ भट्ठा तथा स्टोन क्रेशर के व्यवसायियों को सहूलियत देने के लिए वर्ष में एकमुश्त कर देने हेतु समाहित कर व्यवस्था लागू कर दी गई है। धान एवं मोटे अनाज को बिक्री कर एवं अतिरिक्त कर से विमुक्ति प्रदान करने का कत्याणकारी निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। इसका सीधा लाभ समाज के कमजोर तबकों को मिलेगा।

छोटे करदाताओं को राहत देने हेतु निबंधन की सीमा को 1.00 लाख रू० से बढ़ाकर 5.00 लाख रू० करने का निर्णय इस शर्त्त पर लिया गया है कि 1.00 लाख से 5.00 लाख की अधिसीमा में आने वाले करदाताओं को निर्धारित स्लैब के अनुसार, Self Assessment की प्रणाली के आधार पर एकमुश्त कर जमा किया जाना होगा।

कराधान बिन्दु में एकरूपता तथा राजस्व संग्रहण में सुगमता के उद्देश्य से अंगीकृत बिहार वित्त अधिनियम के अन्तर्गत अंतिम बिन्दु पर कर देयता वाली 31 वस्तुओं पर प्रथम बिन्दु पर कर देयता

थापित करने का निर्णय लिया गया है। इससे व्यापार विचलन तथा कर अपवंचना के स्रोत को नियंत्रित किया जा सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, परिवहन प्रक्षेत्र में राजस्व संग्रहण के लिए प्राथमिकता दी गई है। राज्य के सीमावर्त्ती स्थानों में 9 Integrated Computerised Check-Post स्थापित किये जा रहे है। उक्त स्वचालित चेकपोस्टों के निर्माण से सभी विभागों के राजस्व संग्रहण में अप्रत्याशित वृद्धि सम्भव हो सकेगी। परिवहन प्रक्षेत्र में लगभग 300 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की गई है। परिवहन विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2004-05 में रू० 51.90 करोड़ बजट में उपबंधित करने का प्रस्ताव है।

राज्य हित में निबंधन के मामले में युक्तिसंगत परिवर्तन करते हुए मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क में भी भारी कमी की गई है। राजस्व में वृद्धि लाने के उद्देश्य से बहुमंजिला भवन/अपार्टमेंट/फ्लैटों के निबंधन एवं भूमि के हस्तांतरण पर स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क की अधिकतम सीमा 17.4 प्रतिशत से घटाकर एक सामान्य दर 5 प्रतिशत किया गया है ताकि राज्य के बाहर झारखण्ड की भूमि के हस्तांतरण का निबंधन नहीं हो। इस कदम से राज्य में सभी वर्ग के नागरिकों को अपने अचल सम्पत्ति की रक्षा करने में सुविधा मिलेगी जिसके साथ-साथ राजस्व संग्रहण में भी लगभग 200 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

राज्य में कुपोषण भी एक बड़ी समस्या है इससे निपटने के लिए सरकार द्वारा अवयस्क बालिकाओं के लिए पोषाहार योजना एवं प्रधान मंत्री ग्रामोदय पोषाहार योजना के अन्तर्गत एक नई योजना का सूत्रण किया गया है। इस योजना पर कुल 41.00 करोड़ रू० व्यय प्रस्तावित है।

मुख्य मंत्री आवास योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के लिए एक नई आवास योजना है जिसके अन्तर्गत कुल पाँच लाख आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए हुडको से ऋण लेकर कार्य कराये जाने का प्रस्ताव है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में प्रयोग के तौर पर पॉयलट प्रोजेक्ट के रूप में कुल 50,000 आवास का निर्माण कराया जाएगा इसपर अनुमानित व्यय 100.00 करोड़ रू० होगा और इसके उपलब्धि के आधार पर शेष 4.50 लाख आवासों का निर्माण, विभिन्न चरणों में अगले वित्तीय वर्ष में कराया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, राज्य में पिछड़ापन दूर करने हेतु भारत सरकार द्वारा सम विकास योजनान्तर्गत शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से आठ अति पिछड़े जिलों का चयन किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिला को तीन वर्षों तक प्रति वर्ष 15.00 करोड़ रू० का अनुदान दिया जाना है एवं वर्ष 2004-05 के लिए 120.00 करोड़ रू० का व्यय प्रस्तावित है।

राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोकुल नगर योजना प्रारम्भ की जा रही है इसके अन्तर्गत राज्य के दस जिलों के 20 गाँवों में कुल 300 बी.पी.एल. (अनु०जाति/जन जाति) परिवारों को 2 दूधारू मवेशी, कैटल शेड, चारा प्रत्यक्षण, दुग्धवर्द्धक दवा आदि उपलब्ध कराने की योजना है।

विश्व बैंक सम्पोषण हेतु प्रस्तावित झारखण्ड सहभागीय वन प्रबंधन परियोजना के प्रथम चरण का कार्यान्वयन इस वर्ष प्रारम्भ हो गया है एवं अगले वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रथम चरण में प्राप्त अनुभवों के आधार पर विस्तृत योजना सूत्रित की जाएगी एवं इस महत्वाकांक्षी एवं बहुआयामी परियोजना का मूल उद्देश्य सहभागीय वन प्रबंधन के माध्यम से गरीबी उन्मूलन है।

राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक राजस्व ग्राम को ग्राम सभा के रूप में अधिसूचित किया जाय। इसी क्रम में लगभग 15625 राजस्व ग्रामों, जो अनुसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, में परम्परागत व्यवस्था के अनुसार

गाँवों के प्रधान, मुण्डा, मानकी, परगना, माँझी या अन्य समकक्ष पदनामित व्यक्ति को ग्राम प्रधान के रूप में प्रकाशित किया जाय। ग्राम सभाओं को शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाएगा जिसके अनुसार ग्राम सभाओं द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं का पूर्ण दायित्व उन्हें सौंपा जाएगा।

पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय प्रबंधन एवं कर प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है ताकि स्थानीय निकाय अपने संसाधनों के मामले में आत्मनिर्भर हो सके।

ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए योजना उदव्यय में 40 प्रतिशत वृद्धि करते हुए 926 करोड़ रू० का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने राज्य स्वास्थ्य नीति लागू करने का निर्णय लिया है। इस नीति के अन्तर्गत विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और समाज के वंचित वर्गों के लिए सुलभ, वहनीय, सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टि से स्वीकार्य और उपभोक्ता-अनुकुल उत्तम स्तर की स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जा सकेगी।

भारत सरकार की नीति के अनुरूप राज्य सरकार ने एक एकीकृत राज्य-विशिष्ट जनसंख्या और प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य नीति को भी लागू करने का निर्णय लिया है। इसके अन्तर्गत Total Fertility Rate 2.1 प्रतिशत पर स्थिर किया जाना है।

सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य उप केन्द्र से लेकर चिकित्सा महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ-साथ चिकित्सकों एवं पारामेडिकल कर्मियों की नियुक्त अनुबंध पर की गयी है ताकि चिकित्सा सुविधायें सहज रूप से उपलब्ध हो सके। राजेन्द्र आर्युविज्ञान संस्थान, राँची में 413 परिचारिकाओं की अनुबंध पर सेवा प्राप्त की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा के लिए 942 चिकित्सकों एवं 1063 अन्य कर्मियों को अनुबंध पर रखकर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को सशक्त बनाने की कोशिश की गयी है।

अध्यक्ष महोदय, झारखण्ड राज्य के बहुमूँखी विकास के लिए निजी क्षेत्र की सहभागिता भी अनिवार्य है। निजी क्षेत्र द्वारा पूँजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की औद्योगिक नीति कारगर बनाई गई है। सिंगल विन्डो सिस्टम को प्रभावी बनाया जाएगा जिससे राज्य में अधिक पूँजी निवेश के अवसर प्राप्त हो सकेंगे और एक नये वातावरण का निर्माण हो सकेगा।

औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने एवं राज्य के बाहर के उद्यमियों को राज्य में आमंत्रित करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की गई है।

झारखण्ड औद्योगिक नीति, 2001 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों द्वारा अपने परिसर में कैप्टिव ऊर्जा उत्पादन को 10 वर्षों की अवधि के लिए विद्युत शुल्क से विमुक्त किया जाता है। इस कदम से निजी क्षेत्र के औद्योगिक इकाईयों को अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

राज्य सरकार द्वारा साफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क राँची में स्थापित करने की योजना है। हस्तकरघा विकास के अन्तर्गत आदित्यपुर, जमशेदपुर में 3.00 करोड़ रू० के लागत पर ऐप्रल पार्क (Apparel Park) की स्थापना की जाएगी।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से राज्य के खनन क्षेत्र में लगभग 20,000.00 करोड़ रू० के पूँजी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए है। पेट्रोलियम पदार्थो की खोज करने के लिए तीन ब्लॉक, यथा नॉर्थ कर्णपुरा, बोकारो एवं झरिया का चयन करते हुए अनुज्ञप्ति जारी की गई है।

राज्य के आधारभूत संरचना को मजबूती प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर सड़कों का निर्माण एवं मरम्मति कार्य किया गया है जिसके अर्न्गत 1197 कि०मी० कालीकरण एवं 29 पुलों का निर्माण किया गया है। साथ ही बरही से राँची तक के राष्ट्रीय उच्च पथ को चार-लेन करने की योजना स्वीकृत की जा

चुकी है। राज्य योजना के अन्तर्गत पथ एवं पुल निर्माण की प्राथमिकताओं के आधार पर इस प्रक्षेत्र के लिए लगभग 310 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, जल संसाधन क्षेत्र की लम्बित योजनाओं को जल्द-से-जल्द पूर्ण कर सिंचित क्षेत्र को बढ़ाया जाना राज्य की प्राथमिकता रही है। इसी उद्देश्य से वर्ष 2004-05 के लिए 362 करोड़ रू० का प्रावधान किया गया है जिससे लगभग 47,000 हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा सुलभ हो सकेगी।

राज्य सरकार द्वारा संवेदनाशील, पारदर्शी एवं जनोन्मुखी प्रशासन सुलभ कराने के उद्देश्य से ई-गवर्नेस को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। ई-गवर्नेस की महत्वाकांक्षी योजना को चरणबद्ध तरीके से विभिन्न विभागों में लागू करने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 16.92 करोड़ रू० का प्रावधान किया गया है।

पूरे राज्य में मुख्यालय स्तर तक एवं जिला स्तर से ब्लॉक स्तर तक कम्प्यूटर नेटवर्क स्थापित करने हेतु झारनेट योजना पर 11.00 करोड़ व्यय प्रस्तावित है। राज्य में इसरो, बैंगलोर के सहयोग से झारखण्ड स्पेश एपलिकेशन सेन्टर का गठन किया गया है जिसके द्वारा प्रथम बार GIS Mapping के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का उच्चतम् प्रबंधन सुनिश्चित हो सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, नवगठित राज्य के लिए वर्ष 2007 के राष्ट्रीय खेल झारखण्ड राज्य को आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसी परिप्रेक्ष्य में मेगा स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, दो नए एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम के अतिरिक्त अन्य नए इन्डोर स्टेडियम का निर्माण प्रारम्भ किया जाएगा। इस कार्य हेतु 73.00 करोड़ रू० का व्यय प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2004-05 में लाख गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों को एल०पी० गैस चुल्हा तथा धुआँ रहित चुल्हों का वितरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राँची शहर में दस स्थानों पर सामुदायिक चुल्हा योजना प्रारम्भ की जाएगी, जिससे सामूहिक रसोई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। अगले वर्ष कुल 29.06 लाख गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों को प्रति परिवार दो किलो, प्रति माह 25 पैसे की दर से आयोडाईज्ड नमक वितरण की योजना स्वीकृत की गई है।

वर्तमान वितीय वर्ष में अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत कुल 12.6 प्रतिशत बी.पी.एल. परिवार लाभान्वित हैं और इसे बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2004-05 में 50 प्रतिशत कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वितों के प्रत्येक माह 2 रु प्रति किलो की दर से गेहूँ तथा 3 रु. प्रति किलो की दर से चावल कुल 35 किलो अनाज उपलब्ध कराया जाता है।

बीड़ी श्रमिकों के आवास हेतु केन्द्र प्रयोजित योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004-05 में 10,000 आवासों के निर्माण का प्रस्ताव है जिसमें 13.60 करोड़ रू० का व्यय सम्भावित है।

झारखण्ड राज्य के गठन के बाद पहली बार योजना का आकार अभूतपूर्व रुप से बढ़ाते हुए 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। उक्त भावी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेरा विनम्र निवेदन है कि आप राज्य के व्यापक हित में इस चुनौती का सामना करने में मेरा साथ देंगे ताकि झारखण्ड राज्य का आम आदमी भी विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सके।

मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपके सहयोग और राज्य की जनता की शुभकामनाओं के साथ निःसंदेह ही झारखण्ड राज्य एक अग्रणी और समृद्ध राज्य बन सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक को सदन के विचारार्थ समर्पित करता हूँ।

{दिनांक 23 फरवरी 2004.}

II + + + II